

# वीर परिवार सहायता योजना

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना है, जो रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करती है।



## योजना के बारे में:

- संस्था:** यह योजना रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, एनएएलएसए, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) और जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) की संयुक्त पहल है।
- उद्देश्य:** रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना।
- क्रियान्वयन:** इसे राज्य और जिला सैनिक बोर्डों द्वारा स्थापित विधिक सेवा क्लिनिकों के नेटवर्क के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
- सहयोग:** ये क्लिनिक रक्षा मंत्रालय और सैनिक कल्याण निदेशालयों के साथ मिलकर संचालित होंगे।

## योजना की विशेषताएँ:

- यह योजना विशेष रूप से दूरदराज के स्थानों पर तैनात कर्मियों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें कानूनी मामलों में कठिनाई होती है।

- **कानूनी सहायता:** यह योजना पारिवारिक संपत्ति, भूमि विवाद या घरेलू मुद्दों से जुड़े कानूनी मामलों में सैनिकों को सहायता प्रदान करेगी।
- **कानूनी प्रतिनिधित्व:** नालसा पैनल वकील और पैरालीगल स्वयंसेवक सैनिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेंगे।
- **अर्धसैनिक बल:** सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों को भी कानूनी सहायता मिलेगी, जो पृथक और उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में काम करते हैं।



**(वैकल्पिक विषय)** Result Mitra  
**OPTIONAL SUBJECT**  
**GEOGRAPHY**  
**OPTIONAL**  
**Fee - मात्र 6499 ₹**  
**केवल 21 से 26 जून**

**OPTIONAL SUBJECT** Result Mitra  
**वैकल्पिक विषय**  
**PSIR**  
**Fee - मात्र 6999 ₹**  
**केवल 01 से 06 जुलाई**  
**Dr. Faiyaz Sir**